कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया।

Email- tcdvno2@gmail.com

पत्रांक–   बेतिया,   दिनांक–

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

(NIQ)सं०–06 / 2025–2026

कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया द्वारा प्रमंडलीय निरीक्षण वाहन के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपयोग हेतु एस०यू०वी0 वाहन ड्राईवर सहित भाड़े पर रखने की आवश्यकता है। इस क्रम में इच्छुक वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता से उक्त वाहन ड्राईवर सहित भाड़े पर आपूर्ति करने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है:–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अवधि	संख्या
1	तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया	एक साल के लिए	01
2	तिरहुत नहर अवर प्रमंडल मुख्यालय–2,बेतिया	एक साल के लिए	01
3	तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, नौतन		
4	तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, मटकोटा	एक साल के लिए	01
5	तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, लौरिया		

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथिः– 14.03.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधिः– 28.03.2026 को 3.00 PM तक
3. कोटेशन जमा करने का स्थानः– कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समयः– 30.03.2026 3.30 बजे अपराहन
5. विज्ञापन दाता का नाम एवं पताः– कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया (प0 चम्पारण) मो0–7463889662
6. निविदाताओं को वितीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगाः–

कमांक	वाहन का प्रकार	ईंधन सहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST,IT,etc. सहित	अभियुक्ति
1			

निविदा की शर्तें निम्नवत् है :–

1. भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। सेवा संतोषजनक होने पर अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर ही वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा।
2. वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए। व्यावसायिक वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यावसायिक वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राइवेट / निजी वाहन का अधिग्रहण / एकरारनामा किया जाएगा ऐसी स्थिति में शुल्क के रुप में वाहन भाड़ा विपत्र से प्रतिमाह 500 रु0 या परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित राशि की कटौति करते हुए जमा शीर्ष R0041001020001 में चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा बेतिया में जमा करना होगा।
3. वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा। एवं वाहन पाँच वर्ष से अधिक पूराना नही होना चाहिए।
4. चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेन्स होना चाहिए।
5. वाहन का किराया समाहरणालय पश्चिम चम्पारण बेतिया (जिला नजारात शाखा) के पत्रांक 252 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा निर्धारित दैनिक ईंधन सहित (GST सहित) दर या न्यूनतम दर स्वीकार होगा।
6. वाहन का रख रखाव, साफ–सफाई वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा तथा हमेशा चालू अवस्था में रखने की वाहन मालिक / वाहन अपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी। वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी।
7. नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी०एस०टी०, Toll Tax आदि अन्य करों का भुगतान वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करना होगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं होगा।

8. एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जायेगा।
9. सेवा असन्तोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कार्यालय द्वारा बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द करने का अधिकार होगा।
10. इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता क्रमांक 3 एवं 4 से संबंधित कागजात के साथ अपना कोटेशन दिनांक 16.03.2026 से 28.03.2026 तक कार्य अवधि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में बन्द लिफाफे में 03:00 बजे अपराहन् तक समर्पित करेंगें। जिसे दिनांक 30.03.2026 के 03:30 बजे अपराहन् में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए आपको सूचित किया जाएगा।
11. कोटेशनदाता/एजेंसी सभी वाहनों, जनशक्ति, तृतीय पक्ष बीमा, आदि का बीमा करने के लिए जिम्मेदार होगी। दुर्घटना, चोरी, क्षति, सेंधमारी आदि के लिए और अवधि के दौरान बीमा कवर के नवीनीकरण के लिए भी अनुबंध।
12. नियमानुसार आवश्यक सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं आवंटन उपलब्ध होने पर ही भाड़ा एवं इंधन व्यय का भुगतान गाड़ी मालिक को किया जाएगा तथा इसमें पूर्व एवं अतिरिक्त गाड़ी मालिक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
13. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशन दाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।
14. वाहन का एकरारनामा प्रत्येक वाहन के लिए निधरित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

ह0-

कार्यपालक अभियंता,
तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया।

पत्रांक :– 281 /बेतिया, दिनांक– 14/03/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु समर्पित।

14/03/2026
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल–2, बेतिया।

T।